कार्यालय नगर निगम, ऋषिकेश।

नगर निगम, ऋषिकेश की सीमा के अन्तर्गत श्वान पशुओं के लाइसेंस शुल्क से सम्बन्धित उपविधियाँ

नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 172(2) (ङ) में प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में अधिनियम की धारा के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा श्वान पशुओं के रखने/पालने पर पंजीकरण किये जाने हेतु अनुज्ञा के क्रम में उपविधि–2025 प्राख्यापित की जानी है, जिसका प्रारूप निम्नवत् है–

यदि किसी भी संघटन/संस्था अथवा हितवद्ध को निम्न में किसी भी प्रकार का सुझाव/संधोधन/आपत्ति/दावे किये जाने की अपेक्षा हो तो, इस विज्ञप्ति प्रकाशन के दिनांक 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में अद्योस्ताक्षरी के कार्यालय में हार्ड कॉपी अथवा ईमेल–npprishikesh@gmail.com पर सुसंगत अभिलेख मय सुझाव प्रेषित किये जा सकते है। तदोपरान्त् प्राप्त होने वाली किसी भी आपत्ति/दावे पर विचार नही किया जायेगा।

उपविधि

1. यह उपविधि नगर निगम, ऋषिकेश में श्वान पशु लाइसेंस उपविधि 2025 कहलायेगी।
2. यह उपविधि सरकारी गजट उत्तराखण्ड़ में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।
3. परिभाषाएँः–
   (क) "नगर निगम" से तात्पर्य नगर निगम, ऋषिकेश व उसकी सीमा से है।
   (ख) "नगर आयुक्त" से तात्पर्य नगर निगम, ऋषिकेश के नगर आयुक्त से है।
   (ग) " अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) से है।
4. प्रत्येक 3 माह अथवा इससे अधिक की आयु का श्वान पशु नगर निगम, ऋषिकेश की सीमा के अन्दर रखने/पालने पर इसका पंजीकरण नगर निगम, कार्यालय में कराना आवश्यक होना, जो प्रत्येक वर्ष की अन्तिम तिथि 31 मार्च तक वैध रहेगा।
5. प्रत्येक ऐसे श्वान पशु, जिसका पंजीकरण कराना हो, के (1) लिंग, (2) रंग, (3) नस्ल (यदि ज्ञात हो) की सूचना नगर निगम ऋषिकेश के समक्ष अधिकारी को उसके स्वामी द्वारा आवेदन प्रेषित करना होगा। इसके लिए आवेदन–पत्र के साथ रू0 500/– का पंजीकरण शुल्क जमा करना होगा। आवेदन–पत्र के साथ श्वान पशु को एंटी रैबीजरोधी वैक्सीन का टीकाकरण लगा होने का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
6. श्वान पशु के स्वामी को प्रत्येक वर्ष अप्रैल अथवा इससे पूर्व ही पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए आवेदन निर्धारित शुल्क सहित प्रेषित करना होगा। विलम्ब से प्रेषित नवीनीकरण प्रार्थना–पत्र पर प्रतिमाह रू0 50/– विलम्ब शुल्क देय होगा।
7. ,प्रत्येक श्वान पशु के पंजीकरण के पश्चात् उसके पंजीयन संख्या का टोकन जारी किया जायेगा, जो श्वान पशु के गले में सदैव उपलब्ध रहेगा।
8. किसी भी पंजीकरण के टोकन के खो जाने की दशा में उसके स्वामी की लिखित सूचना पर दूसरा टोकन रू0 100/– के दण्ड शुल्क लेकर जारी किया जा सकेगा, श्वान पशु के गले में टोकन ना पाये जाने की स्थिति में श्वान पशु पंजीकरण रहित माना जायेगा।
9. प्रत्येक ऐसा श्वान पशु जो सार्वजनिक स्थल पर बिना गले के टोकन के पाया जायेगा, पकड़कर जब्त करने योग्य होगा।
10. श्वान पशु को टहलाने के दौरान सार्वजनिक मार्गो/स्थानों पर मल मूल त्याग नही कराया जायेगा। पकडे जाने पर प्रथम बार रू0 100/– , द्वितीय बार रू0 500/– एंव तृतीय बार विधिक कार्यवाही की जायेगी।

11. प्रतिबन्धित नस्ल के श्वान पशु के पालन पर पूर्णतः प्रतिबन्ध रहेगा, यदि प्रतिबन्धित श्वान पशु किसी के द्वारा पाला/रखा जाता है तो पकडे जाने पर रू0 20,000/–(बीस हजार रूपये) का जुर्माना वसूला जायेगा।

दण्ड

इस नियामावली के नियम 4 से 9 तक की अवहेलना होने पर श्वान पशु स्वामी दण्ड का भागी होगा, जो रू0 500/– तक हो सकेगा एवं अवज्ञा जारी रहने की दशा में प्रतिदिन रू0 50/– तक का अतिरिक्त दण्ड देय होगा।

सहायक नगर आयुक्त,
नगर निगम ऋषिकेश।

कार्यालयः– नगर निगम, ऋषिकेश, देहरादून (उत्तराखण्ड)।

पत्रांक2142/(11)स्वा0अनु0/2025–26 दिनांक 22.07.2025

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एंव नोटिस बोर्ड में चस्पा किये जाने हेतु।

1. माननीय महापौर महोदय, नगर निगम ऋषिकेश।
2. नगर आयुक्त महोदय, नगर निगम ऋषिकेश।
3. सम्पादक, अमर उजाला (हिन्दी) एंव दि पायनियर (अग्रेंजी) को इस आशय से कि उपरोक्त सूचना/विज्ञप्ति को अपने समाचार पत्र के ऋषिकेश संस्करण में न्यूनतम दरों में प्रकाशित करवाते हुए 10 प्रतियाँ मय बिल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
4. नोटिस बोर्ड पर चस्पा ।
5. कार्यालय प्रति।

22/07/25

सहायक नगर आयुक्त,
नगर निगम ऋषिकेश।